

-: आदेश :-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंभा के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 में निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार के पद पर 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से परिवीक्षा प्रशिक्षु नियुक्त कर 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

Sr no.	Merit no.	Roll no.	Name	Category
1	1547	810804	ANKUR GOYAL	GE, LV
2	1600	809989	NARENDRA	BC, LV
3	1948	826838	JAYNIT PATHAK	GE, BL, RG, TSP-UR

श्री अंकुर गोयल की वरिष्ठता पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 10053 दिनांक 24.12.2021 में क्रम संख्या 120 पर अंकित दिपिका कटारा, मेरिट क्रमांक 24 (TSP) के नीचे एवं क्रम संख्या 121 पर अंकित श्री रामजीलाल गुर्जर, मेरिट क्रमांक 1594 के ऊपर रहेगी।

श्री नरेन्द्र की वरिष्ठता पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 10053 दिनांक 24.12.2021 में क्रम संख्या 121 पर अंकित श्री रामजीलाल गंजर, मेरिट क्रमांक 1594 के नीचे एवं क्रम संख्या 122 पर अंकित श्री नारायण डामोर, मेरिट क्रमांक 1687 के ऊपर रहेगी।

श्री जयनित पाठक की वरिष्ठता पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 10053 दिनांक 24.12.2021 में क्रम संख्या 135 पर अंकित राजु देवी बुनकर, मेरिट क्रमांक 1936 के नीचे एवं क्रम संख्या 136 पर अंकित निर्मला कुमारी, मेरिट क्रमांक 1953 के ऊपर रहेगी।

शर्त :-


1. यह नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्याधीन है।
2. उक्त सेवा आवंटन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।
3. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अध्याधीन रहेगी।
4. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
5. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।



6. नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे कि उनके विरुद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं है एवं ना ही उन्हें पूर्व में न्यायालय द्वारा दण्डित/राजीनामा/दोषमुक्त किया गया है। साथ ही प्रशासनिक विभाग को यह राय दी जाती है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन/दण्ड/राजीनामा/ दोषमुक्त/एफ.आई.आर. आदि का शपथ पत्र में उल्लेख किया जाता है तो कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाए जाने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावे एवं नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावे। पुलिस सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उनके नाम के आगे प्रोविजनल लिखते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी।
7. यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल रखी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
8. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
9. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.1.2014 व 04.7.16 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग के अभ्यर्थी उक्त अधिसूचना के क्रम में आवश्यक शपथ पत्र उपस्थिति से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।
10. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र संख्या प. 15 (1) कार्मिक/ क-2/ 74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
11. राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात से नियुक्त है, के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
12. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)वित्त/ नियम/06 दिनांक दिनांक 13.03.2006 एवं F.14 (1) RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
13. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
14. उक्त नियुक्तियों सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यक्षीन हैं।
15. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में तीन बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
16. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान तहसीलदार सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
17. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
18. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
19. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय आवश्यक रूप से निदेशक, आर.आर.टी.आई, अजमेर को प्रस्तुत करेंगे।
20. अभ्यर्थी दिनांक 09.05.2022 को प्रातः 9.30 बजे तक निश्चित रूप से राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में उपस्थिति दें तथा उपस्थिति तिथि ही उनकी संगत (कार्यग्रहण) तिथि होगी।

21. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

आदेशानुसार,


(महावीर प्रसाद)

निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक: 06/05/2022

क्रमांक: सम/ 7555-73

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, मा.अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर ।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प-9 (1) कार्मिक/क-4/2/2021 दिनांक: 02.05.2022 के क्रम में ।
- 3- प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 4- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- 5- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 6- निदेशक, आर.आर.टी.आई., अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आदेश में उल्लेखित "बन्ध पत्र", आपराधिक प्रकरणों के संबंध में "Self declaration" अथवा शपथ पत्र तथा जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 7- श्री चेतन कुमार त्रिपाठी, उप-निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर को राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 9097 दिनांक 23.12.2021 के क्रम में नोडल अधिकारी होने के क्रम में व्यवस्थार्थ हेतु।
- 8- श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, तहसीलदार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 9097 दिनांक 23.12.2021 के क्रम में नोडल अधिकारी होने के क्रम में व्यवस्थार्थ हेतु।
- 9- संबंधित अभ्यर्थी
स्पीड पोस्ट
- 10- प्रभारी अधिकारी (कंप्यूटर्स), राजस्व मण्डल राज., अजमेर ।
- 11- निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका ।


अतिरिक्त निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर